तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/3329/2005/टोंक** **कैलाशकंवर बनाम बरधा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांकः07.06.2022**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, देवली के प्रकरण सं0 18/2004 दिनांक 04–03–2005 बउनवानी कैलाश कंवर बनाम बरधा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/प्रार्थीगण ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, देवली के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम सारदड़ा तहसील देवली में स्थित आराजी खसरा नं0 798 रकबा 1–54 है0, 800 रकबा 1–03 है0 बाबत् प्रस्तुत कर उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। वादीगण उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण उक्त खसरा नंबर से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों से इन्कार करते हुए वाद स्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें। दौराने वाद अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजी पर मौका कमिश्नर नियुत कर विवादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट मंगवाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 4–3–2005 से अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 स्वीकार करते हुए तहसीलदार, देवली को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया। उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण/निगराकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/3329/2005/टोंक** **कैलाशकंवर बनाम बरधा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की निगरानी पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद में प्रिमेच्योर आदेश पारित किया है। अभी प्रकरण सुनवाई की स्टेज पर ही है, उसके पूर्व कमिश्नर नियुक्ति का आदेश, आदेश 26 नियम 9 के तहत नहीं दिया जा सकता है। वाद अंतिम रूप से निर्णित किये जाने के लिए यदि न्यायालय स्थल निरीक्षण करवाना चाहे तो केवल स्वयं ही आदेश 18 नियम 18 व्यवहार प्रक्रिया सहिता की पालना कर स्थल निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं किन्तु तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर मौके के बारे में रिपोर्ट तलब नहीं की जा सकती है। बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आपत्ति पर तनकीयात बन सकती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी का आदेश गलत है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी देवली का निर्णय दिनांक 4–3–2005 निरस्त किया जाकर अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज फरमाया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी के गुणावगुण पर सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, देवली ने अपने निर्णय दिनांक 04–03–2005 में अंकित किया कि न्यायहित में मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में मौका कमिश्नर तहसीलदार देवली को नियुक्त किया जाता है।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/निगराकार/वादीगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसमें अप्रार्थी/प्रतिवादी ने मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, देवली ने दिनांक 4–3–2005 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/3329/2005/टोंक** **कैलाशकंवर बनाम बरधा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तहसीलदार, देवली को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा मौका कमिश्नर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अपने जवाबदावा में भी लिये गये हैं। वाद में वादपत्र व जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर दस्तावेजात, साक्ष्य सुनवाई के पश्चात् अंतिम निर्णय किया जावेगा। प्रकरण की सुनवाई शुरू होने के पूर्व ही साक्ष्य एकत्रित करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना उचित नहीं है। आदेश 26 नियम 9 व आदेश 39 नियम 7 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के तहत मौका कमिश्नर के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती है।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी देवली का आदेश विधिसम्मत नहीं होकर काबिल खारिजी है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–03–2005 खारिज किया जाता है।

10– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य